



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

RENWAL

क्र. 2134/अका./सं. 1.23/2018

भोपाल, दिनांक:- 3.5.18...

प्रति,

प्राचार्य,
29-TAKSHA-SHILA COLLEGE RACHNA NAGAR
Dist.: BHOPAL



विषय:-सम्बद्धताकी निरंतरता/ नवीन अस्थाईसम्बद्धता प्रदान करने विषयक- सत्र 2018-19.

महोदय,

निरीक्षण समिति की अनुशंसा, कार्यपरिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्राप्त अधिकार अनुसार प्राप्त स्वीकृति के उपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-

Course/ Branch

BBA-PLAIN, BCA-PLAIN, BCOM-COMPUTER APPLICATION, BCOM-PLAIN, BSC-COMPUTER SCIENCE, BSC-ELECTRONICS, BSC-INFORMATION TECHNOLOGY, BSC-MATHEMATICS, BSC-PHYSICS, BSC-STATISTICS, MCOM-MANAGEMENT, MSC-COMPUTER SCIENCE, PGDCA-PLAIN

शर्त:-

1. अस्थाई संबद्धता निरंतर करने हेतु आगामी सत्र 2019-20 के लिए आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग/ नियामक संस्था की मान्यता, निर्धारित संबद्धता शुल्क एवं आवेदन पत्र के साथ नियत दिनांक तक आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 एवं परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 5,6,7 सहित अन्य नियमों/ निर्देशों का पालन करना होगा।
3. प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय परिनियम 28 के तहत पूर्ण कर सूची प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
4. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
5. शासी निकाय का गठन कर नियमित बैठकों का आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
6. उच्च शिक्षा विभाग / नियामक संस्था द्वारा जारी सशर्त (यदि कोई हो) अनापति प्रमाण-पत्र के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी। अन्यथा प्रदत्त अस्थाई संबद्धता स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
7. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसकी संपूर्ण जवाबदारी महाविद्यालय प्रबंधन की होगी।
8. विश्वविद्यालय में जमा/ जमा की जाने वाली FDR की पूर्ण जानकारी 01 माह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. किसी भी नियम/ निर्देश/ प्रावधान की पूर्ति न होने की स्थिति में यह संबद्धता स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

प्र.क्र. /अका./सं. 1.235

प्रतिलिपि-

1. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल।
2. अतिरिक्त संचालक भोपाल/नर्मदापुरम संभाग, भोपाल।
3. प्रभारी आई.टी./वेब सेल-बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल की वि.वि. की वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
4. उप कुलसचिव गोपनीय/परीक्षा की ओर सूचनार्थ।
5. कुलपति/ कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।



आदेशानुसार

उप-कुलसचिव, (अकादमी)

Acting
Asstt. Registrar (Academic)
Barkatullah University, Bhopal